

# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या  
मैनुअल नं. 4 / अपील / 2025  
( GCMS No. 2025 / 8 )

प्रविष्टि दिनांक  
21.01.2025

निर्णय दिनांक  
30.06.2025

1. अणदीलाल आ. किशोर जाति माली, निवासी लाम्बापीपल
2. केसरबाई आ. किशोर जाति माली, निवासी लाम्बापीपल
3. गोपाल आ. किशोर जाति माली, निवासी लाम्बापीपल
4. जानाबाई पुत्री किशोर पत्नी पुष्पदयाल जाति माली,  
निवासी गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
5. बादामबाई पुत्री किशोर पत्नी गजानन्द जाति माली,  
निवासी तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
6. मंजूबाई पुत्री किशोर पत्नी जमनालाल जाति माली,  
निवासी गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

– अपीलांटस

## बनाम

1. मनभरी पुत्री छीतर पत्नी जगन्नाथ जाति माली  
निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. प्रेमशंकर पुत्र रामचन्द्र, जाति माली,  
निवासी लाम्बापीपल, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
3. पन्नालाल पुत्र रामचन्द्र, जाति माली,  
निवासी लाम्बापीपल, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिथत-

अपीलान्ट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा एडवोकेट।  
रेस्पों.सं. 1, 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।  
रेस्पों.सं. 4 की ओर से परोकार सरकार।

जिला कलक्टर, बून्दी



## निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 14.06.1982 ग्राम लाम्बापीपल से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार छीतर माली के देहान्त के बाद उसके खाते की कृषि भूमि पर किशोर दत्तकपुत्र छीतर व रामकिशानी बेवा छीतर के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 4/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/8 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पोंड जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट सं. 1, 2, 3 के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 22.04.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अभिभाषक अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पर सुना गया। प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे में न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

तत्पश्चात बहस अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा संख्या 133 रकबा 0.5908 हैक्टेयर एवं ख.सं. 285/389 रकबा 0.6313 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.2221 हैक्टेयर वाकेग्राम लाम्बा पीपल, तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। इसी प्रकार भूमि खसरा सं. 222 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, ख.सं. 223 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, ख.सं. 226 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, ख.सं. 228 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, ख.सं. 231 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, ख.सं. 232 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, ख.सं. 302 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, ख.सं. 53 रकबा 0.4290 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 5.5361 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा सं. 33/1, 154, 182 मी., 171, 173, 100 मी., 173 मी., 111/2, 112/1 मी., 114 मी., 115 मी., 128/1, 128/2 है जो वाके ग्राम लाम्बापीपल तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित थे। उपरोक्त भूमि के मूल खातेदार छीतर आ. कंवरा जाति माली थे, छीतर आ. कंवरा जी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि के संबंध में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 18.07.1967 अपीलांटस के पिता किशोर आ. पोखर के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवा दिया था। उक्त वसीयतनामों



जिला कलेक्टर, बुन्दी

में ऐसा कोई अंकन नहीं है कि छीतर जी ने किशोर को गोद लिया हो। खातेदार छीतर के देहान्त के बाद वसीयतगृहिता किशोर ने उक्त भूमि के संबंध में वसीयतनामों के आधार पर स्वयं का नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसके उपरान्त भी उक्त भूमि के संबंध में जो नामान्तरकरण सं. 39 खोला गया उसमें अपीलांटस के पिता किशोर को छीतर का दत्तक पुत्र के रूप में अंकित कर दिया गया जबकि छीतर जी ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पिता किशोर को कभी गोद नहीं लिया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व मूल खातेदार छीतर द्वारा अपीलांट के पिता किशोर को गोद लिये जाने के संबंध में कोई जांच नहीं की और न ही गोद के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज के बाबत जांच की गई। केवल मात्र कयास के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खोला गया जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व न तो अपीलांटस के पिता किशोर जी को कोई नोटिस दिया था और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था। यदि किशोर जी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो उनके द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा निश्चित ही प्रस्तुत किया जाता। इसलिए भी उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 3.12.2024 को होने पर नकल हेतु आवेदन किया गया, नकल दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुई। इसलिए जानकारी की तिथि से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। फिर भी यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन फरमाने एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित फरमाने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में RRD 1992 page 17, RRD 1992 page 117-118, RRD 1992 page 173, RRD 1998 page 319 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।



पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी किस प्रकार से, किसके द्वारा हुई, इसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेख नहीं किया है। अपीलांटस द्वारा 42 वर्ष से अधिक की देरी का कोई सन्तोषप्रद व पर्याप्त कारण भी प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है। बिना न्यायोचित कारण के अत्यधिक विलम्ब कन्डोन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर विलम्ब से पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला (कलेक्टर), बुंदी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम लाम्बा पीपल के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 39 में अंकित कृषि भूमि का खातेदार छीतर पुत्र कंवरा जाति माली था। खातेदार छीतर माली के देहान्त के बाद उसके खाते की कृषि भूमि पर किशोर दत्तकपुत्र छीतर व रामकिशनी बेवा छीतर के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 14.06.1982 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि उक्त नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर दर्ज नहीं किया जाकर, विरासत के आधार पर खोला गया, जबकि अपीलांटस के पिता किशोर के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित होने से उक्त नामान्तरकरण दत्तकपुत्र के रूप में तस्दीक किये जाने से विधिविरुद्ध होने से निरस्त किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 03.12.2024 को होने पर नकल हेतु आवेदन किया गया, नकल दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त होने पर होना अंकित किया है, किन्तु अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया कि उनको अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी किस प्रकार से किसके द्वारा हुई। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 14.06.1982 को तस्दीक हुआ है तथा अपीलांटस द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध यह अपील 42 वर्ष बाद पेश की गई है। दिनांक 03.12.2024 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2076 जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलांट अणदीलाल द्वारा दिनांक 01.03.2024 को प्राप्त कर ली गई थी, जिसमें मनभरी पुत्री छीतर का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है जो कि उक्त आराजी को वसीयत के बजाय विरासत के आधार पर अपीलांटस के पिता किशोर को प्राप्त होना प्रकट करता है। अपीलांटस के पिता किशोर द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी गई। अपीलांटस द्वारा अपने पिता किशोर के देहान्त के बाद उनकी सहखातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड की वर्षों तक अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है, जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। मूल खातेदार छीतर की पुत्री मनभर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर भी उनके द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी करने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांटस ने दिनांक 03.12.2024 से पूर्व उक्त नामान्तरकरण की जानकारी



27  
जिला न्यायालय, बुंदी

नहीं रहने का कोई संतोषजनक कारण नहीं अंकित नहीं किया है। इस कारण अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की दिनांक 03.12.2024 के पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु कानून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party's own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया है कि Liberal approach cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed.

यहां यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति में गोद, वसीयत आदि के संबंध में अन्तिम निर्णय का अधिकार केवल सिविल न्यायालय का प्राप्त है। अपीलांटस वसीयत के आधार पर अपील विषयक सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपना हक अधिकार मानते हैं तो अपीलांटस को अपने हक अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद के माध्यम से करवानी चाहिए। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण का प्रश्न है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण कार्यवाही हैं इससे किसी के हक, अधिकार, स्वत्व तय नहीं होते हैं, यह मात्र भूमि के लगान वसूली की प्रक्रिया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांटस पेश करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदार )  
जिला कलेक्टर, बून्दी  
जिला कलेक्टर बून्दी

